बदले-बदले से दिखेंगे सरकारी अस्पताल

एम्स के तर्ज पर बच्चों का इलाज

संवाददाता ■ पटना

अब पटना के सभी सरकारी अस्पतालों में एम्स के तर्ज पर बच्चों के इलाज की समुचित व्यवस्था होगी. इसके लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग नयी गाइडलाइन जारी कर रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में

- बाल संरक्षण आयोग ने बनायी नयी गाइडलाइन
- गरीब बच्चों के इलाज की प्रक्रिया होगी सरल
- जिलाधिकारी, जिला पार्षद, वार्ड आयुक्त व अस्पताल के जिला सुपरिटेंडेंट रखेंगे नजर

बच्चा वार्ड की अव्यवस्था को ठीक करना व बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना है. इसके तहत गरीब बच्चों के इलाज की प्रक्रिया को और सरल बनाया जायेगा.

स्वास्थ्य विभाग को भेजा प्रस्ताव

कमेटी के गठन को लेकर सभी अस्पतालों के अधीक्षक से बात की गयी है. इसमें जिलाधिकारी, जिला परिषद, वार्ड आयुक्त व अस्पताल जिला सुप्रीटेंडेंट शामिल होंगे, जो अपने आस-पास के अस्पतालों की व्यवस्था पर नजर रखेंगे. जहां जरूरी होगा, वह सुझाव देंगे. इसे स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया है. विभाग की संपुष्टि के बाद अस्पतालों को दिशा-निर्देश जारी किया जायेगा. इसके बाद उक्त गाइडलाइन के तहत बच्चों का इलाज हो सकेगा.

हेल्थ कार्ड की मांगी जानकारी

आयोग ने स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं को मिलनेवाले हेल्थ कार्ड की भी जानकारी मांगी है. इसमें पूछा है कि अब तक इस योजना के तहत कितने बच्चों के हेल्थ कार्ड विद्यालय से बने हैं? जिन बच्चों का हेल्थ कार्ड अब तक नहीं बन पाया है, उनका कार्ड बनवा कर यह सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी. इसके लिए दोनों स्तरों पर काम चल रहा है. जल्द ही सभी स्कूली छात्र-छात्राओं का हेल्थ कार्ड बनवा दिया जायेगा.

ये हैं गाइडलाइन

- अस्पताल में आनेवाले बच्चों के माता-पिता के नाम के साथ पूरी जानकारी दर्ज की जाये
- गंभीर रूप से बीमार व घायल बच्चे का इलाज इमरजेंसी वार्ड में किया जाये
- ओपीडी में सुबह नौ से शाम पांच बजे तक इलाज की व्यवस्था हो
- जनरल व इमरजेंसी वार्डों में सीटों की संख्या 250-350 हो
- एंबुलेंस, स्ट्रेचर, व्हील चेयर आदि की पूरी व्यवस्था हो
- ड्यूटी चार्ट में शिफ्ट वाइज डॉक्टर व नर्सों की जानकारी दर्ज की जाये
- परिसर में पान, तंबाकू व गुटखा के सेवन पर लगे रोक
- मोबाइल फोन का उपयोग प्रतिबंधित हो

आयोग बच्चों के अधिकारों के प्रति सजग है. इनमें शिक्षा व स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता है. गरीब बच्चों का सरकारी अस्पताल में बेहतर इलाज हो सके, इसके लिए आयोग नयी गाइडलाइन बना कर काम कर रहे जा रहा है. पीएमसीएच में इस गाइडलाइन के तहत काम शुरू भी हो गया है. जल्द ही विभागीय प्रक्रिया के तहत अस्पतालों को निर्देश जारी किया जायेगा. **निशा झा, अध्यक्ष, बाल अधिकार संरक्षण आयोग**

- अस्पताल में भीड़ न हो, इसके लिए मरीज के साथ सिर्फ एक अटेंडेंट रहे
- परिजनों के मिलने का समय निर्धारित हो
- इमरजेंसी होने पर डॉक्टर तत्काल मरीज को देखें